

15-6-16

राजस्थान लोक अदालत न्याय आयोग द्वारा  
के तहत उभयपक्षों को सुनवाई हेतु  
नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली  
आज राजस्थान लोक अदालत इस्टेबल में  
केन्द्र गणपत पवार वरिष्ठ एडवोकेट  
पत्रावली में उपस्थित हुए बाद निम्नलिखित  
हो गये है कि जापत के करने का  
कोई आशय नहीं है। अतः जापत  
इसी स्टेज पर शरित्त किया जाता है।  
पत्रावली केवल मुद्रा होकर चले  
करा है तथा शरित्त हुए बाद ही  
र

15/6/16  
9/1/16  
9/1/16